विचार बिन्दु

अपने नाम को कमल की तरह निष्कलंक बनाओ। –लांग फैलो

महिला आरक्षण के नाम पर धोखा ही धोखा

देश में महिलाओं की आबादी लगभग 50 प्रतिशत है, किंतु स्वतंत्रता के 79 साल बाद भी राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पाया है। इस स्थिति के लिए कोई एक दल नहीं, अपितु सभी दल जिम्मेदार हैं।

महिला आरक्षण की बात सभी करते रहे, किंतु उसे वास्तविकता में लागू करने की मानसिकता किसी की नहीं दिखाई दी। यह बात क्यों कहीं जा रही है, यह निम्न विवरण से स्पष्ट हो जाएगा।

2023 से पहले भी 1996, 1998, 2004 और 2008 में महिला आरक्षण बिल संसद में प्रस्तुत किए गए किंतु कभी भाजपा और कभी समाजवादी पार्टी के विरोध के कारण ये पारित नहीं हो पाए। एक बार तो यह बिल राज्य सभा में पारित भी हो गया किंतु लोकसभा भंग होने के कारण वहां पारित नहीं हो पाया। यही हाल लगभग सभी विधानसभाओं का है।

यह उल्लेखनीय है कि जब नरसिंहराव प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस ने 1995 में संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए लागू कर दिया। तब से यह आरक्षण यथावत चल रहा है। कुछ राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत भी किया। प्रारंभ में पंचायत स्तर पर कई महिलाओं के नाम पर उनके पति काम करते रहे किंतु धीरे-धीरे कई पढ़ी-लिखी महिलाएं पंचायती राज में निर्वाचित होने लगीं। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई और वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगीं। आज पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के 10 लाख प्रतिनिधियों में से लगभग 3 लाख महिलाएं हैं। स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का श्रेय कांग्रेस को दिया जाना चाहिए।

जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के लगभग 9 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिलाओं का आरक्षण बिल प्रस्तुत किया, तो उसे सभी राजनीतिक दलों ने सर्व समिति से पारित किया। सरकार ने जानबूझ कर इसे तत्काल लागू करने के बजाय यह प्रावधान कर दिया कि आगामी जनगणना और परिसीमन के बाद इसे लागू किया जाएगा। सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में कितनी गंभीर है, यह इसी से स्पष्ट है कि इस कानून को प्रभावी करने में ही तीन साल लगा दिए और संसद के विशेष सत्र के दौरान 16 अप्रैल, 2026 को इसे लागू करने की विज्ञिप्त जारी की।

प्रारंभ से ही ऐसा लगता था कि भाजपा की नीयत महिला आरक्षण के नाम पर केवल उनके वोट बटोरने की थी। भाजपा ने इसे बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए इसका खूब प्रचार प्रसार किया। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को "अबकी बार 400 पार" के नारे के बावजूद केवल 240 सीटें मिलीं, जो बहुमत से बहुत कम थीं। यदि भाजपा वास्तव में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण देना चाहती तो 2023 के अधिनियम में ही वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या के आधार पर महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कर देती। यदि ऐसा कर दिया जाता और इसे जनगणना और परिसीमन से नहीं जोड़ा जाता तो जून 2024 के लोक सभा चुनावों में ही 181 महिला प्रतिनिधि चुनकर आ जातीं।

यदि जनगणना और परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण लागू होना था, जैसा कि अधिनियम में लिखा था, तो यह 2034 से पूर्व संभव ही नहीं था, यह बात सरकार को तब भी पता थी। अब एक बार पुनः इसका राजनीतिक और चुनावी लाभ उठाने के लिए संसद का एक विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल तक सरकार द्वारा बुलाया गया। इस 131वें संविधान संशोधन बिल में यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 850 तक बढ़ाई जा सकती है। दूसरा संशोधन यह था कि परिसीमन, 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से इस बिल का घोर विरोध दक्षिण के राज्यों ने किया क्योंकि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने से उनका राजनीतिक महत्व कम हो जाता और देश की राजनीति में उनकी भागीदारी भी कम हो जाती। उनकी आशंका को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने लोकसभा में बहस के दौरान यह आश्वासन दिया कि प्रत्येक राज्य के लोकसभा सदस्यों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाएगी और दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं होगा। यह बात प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने भाषण में तो कही किंतु संसद में जो बिल प्रस्तुत हुआ, उसमें इस बारे में कोई उल्लेख नहीं था। विभिन्न विश्लेषकों के द्वारा जो आंकड़े इसके आधार पर प्रस्तुत किए गए, असस्पष्ट था कि उत्तरी पश्चिमी राज्यों को इसका बहुत लाभ मिलना था और दक्षिण के राज्यों को राजनीतिक रूप से बहुत नुकसान होना तय था।

डीएमके और टीएमसी आदि दलों ने भाजपा की इस साजिश को पहचान कर इसका तीव्र विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने तो इस प्रस्तावित बिल की प्रतियां सार्वजनिक रूप से जला दीं। लोकसभा में बहस के दौरान डी एम के सभी संसद सदस्यों ने काले कपड़े पहनकर इसका विरोध किया और इसे लागू करने पर जन आंदोलन करने की भी चेतावनी दे दी।

महिला आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से जोड़ने से यह कहावत बहुत सटीक लागू होती है, "न नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी". परिसीमन का काम इतना पेचीदा है और दक्षिण के राज्यों का इतना घोर विरोध है कि इस काम को पूरा करने में बहुत लंबा समय लग सकता है। सरकार के पास यह मौका था कि परिसीमन को महिला आरक्षण से अलग कर देते।

संख्या बल के आधार पर यह स्पष्ट था कि किसी भी रूप में दो तिहाई बहुमत एनडीए को प्राप्त नहीं है, अतः इसके पारित होने की संभावना नहीं थी। कांग्रेस, सपा, टी एम सी और डी एम के जैसे प्रमुख दलों के साथ अन्य विपक्षी दलों ने पूरी एक जुटता दिखाई। विपक्षी दलों की एकता में फूट डालने का प्रयास, गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत किया, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। भाजपा की मंशा को अच्छी तरह भांप कर उसे संसद में बहस के दौरान विपक्षी नेताओं ने अपने तर्कों को स्पष्ट रूप से देश के समक्ष रखा। इसका भाजपा के पास कोई उत्तर नहीं था कि महिला आरक्षण, वर्तमान सदस्यों की संख्या के आधार पर क्यों नहीं दिया जा सकता और इसे जनगणना तथा परिसीमन से क्यों जोड़ा गया?

यदि राजनीतिक दल चाहें तो महिलाओं को बिना आरक्षण के भी राजनीति में आगे लाने का काम अपने स्तर पर कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, जहां भाजपा ने बहुत कम महिलाओं को टिकट दिया और उसके महिला सांसदों की संख्या लगभग 12 प्रतिशत ही है, वहीं, टी एम सी के अभी 38 प्रतिशत सांसद महिलाएं हैं।भाजपा के शीर्ष स्तर पर और संगठन में भी महिलाओं की संख्या लगभग नगण्य है।

विपक्षियों की एकता के परिणामस्वरूप लोकसभा में इस संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में 298 मत ही प्राप्त हो पाए और इसके विरोध में 230 सदस्यों ने मत दिया। उल्लेखनीय है कि संविधान संशोधन के लिए उपस्थित सदस्यों (528) के दो तिहाई यानि 352 मतों की आवश्यकता थी।

गत 14 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली बड़ी राजनीतिक पराजय थी। इससे बौखला कर प्रधानमंत्री ने अचानक 18 अप्रैल को रात्रि 8.30 बजे देश के नाम संबोधन दिया। इस 29 मिनिट के संबोधन में उन्होंने विपक्षियों को महिला विरोधी बताने का प्रयास किया और केवल कांग्रेस को ही 58 बार कोसा। प्रधानमंत्री ने इस संबोधन में केवल अपनी पार्टी का पक्ष प्रस्तुत किया और ऐसा उन्होंने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को प्रभावित करने हेतु किया। चुनाव के बीच में भाजपा के पक्ष में इस प्रकार प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय चैनलों पर बोलना एक दृष्टि से चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था लेकिन निर्वाचन आयोग भाजपा से इस बारे में जवाब तलब करेगा, इसकी संभावना नहीं है।

सभी विपक्षी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट किया कि वे महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है किंतु वह परिसीमन के साथ इसको जोड़ने का विरोध करते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 850 करने का भी कोई औचित्य नहीं है। विश्व के किसी भी देश के सदन में इतनी बड़ी संख्या नहीं है। लोकसभा के वर्तमान 543 सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का कम अवसर मिलता है और 850 सदस्यों की लोकसभा में किस प्रकार का हंगामा होगा और कैसे इसे संचालित किया जाएगा, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। साथ ही, हजारों करोड़ का अधिक वित्तीय भार जनता पर पड़ेगा। एम पी, एम एल ए फंड के नाम पर मिलने वाले अरबों रुपए में भी 30-40 प्रतिशत तक कमीशन लेने के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। जनता द्वारा इस प्रकार से जन प्रतिनिधियों पर अनाप शनाप खर्च करने को पसंद नहीं किया जाता। भाजपा का इस प्रकार लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव जनता के गले नहीं उतर रहा है।

स्वास्थ्य और शिक्षा, नागरिकों की मूलभूत आवश्यकता है। उसे पूरा करने के लिए सरकार पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं कर पा रही है। जनगणना का काम जो कि 2021 में होना चाहिए था वह अब 2026 में प्रारंभ किया गया है। इसमें जाति गत गणना होगी जिसके आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सीटों को आरक्षित करने की मांग उठेगी। यह आरक्षण होने के बाद फिर परिसीमन किया जाएगा और उसके आधार पर प्रत्येक आरक्षित वर्ग में महिलाओं को आरक्षण देने की बात होगी। कुल मिलाकर, यह तो स्पष्ट है अब यह आरक्षण 2034 से पूर्व लागू होने की कोई संभावना नहीं है। महिला आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से जोड़ने से यह कहावत बहुत सटीक लागू होती है, **"न नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी"**। परिसीमन का काम इतना पेचीदा है और दक्षिण के राज्यों का इतना घोर विरोध है कि इस काम को पूरा करने में बहुत लंबा समय लग सकता है। सरकार के पास यह मौका था कि परिसीमन को महिला आरक्षण से अलग कर देते। तब, सभी राजनीतिक दलों के पास इसे पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता और तब भाजपा को महिलाओं का पूरा समर्थन मिलता।

यह तो भविष्य ही बताएगा कि भाजपा द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाने और महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों पर क्या प्रभाव होगा?

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि सभी राजनीतिक दल महिलाओं को वास्तव में प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते और केवल इसके नाम का झुनझुना जनता को पकड़ा कर महिलाओं के वोट पाना चाहते हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि महिला आरक्षण के नाम पर सभी राजनैतिक दलों ने महिलाओं को धोखा ही दिया है। केवल तृणमूल कांग्रेस इसका अपवाद है जिसने बिना आरक्षण के भी 38 प्रतिशत महिलाओं को लोकसभा में भेजा। यह भी दिलचस्प है कि लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है किंतु राज्यसभा के सदस्यों की संख्या यथावत रहेगी। यह देश के संघीय ढांचे पर आघात करता है क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी राज्यसभा सदस्यों और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं।

सरकार के 131 वें संविधान संशोधन विधेयक का लोक सभा में गिरना लोकतंत्र की जीत है।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

निर्णायक नेतृत्व से संभव हुई पचपदरा रिफाइनरी की विकास गाथा

राजेन्द्र गहलोत

राजस्थान के औद्योगिक इतिहास में बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थापित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना राजनीतिक इच्छाशक्ति, दूरदर्शी नेतृत्व और समयबद्ध क्रियान्वयन का जीवंत उदाहरण बन चुकी है। यह रिफाइनरी उस बदलाव की कहानी कहती है, जिसमें वर्षों तक ठहरी योजनाओं को निर्णायक नेतृत्व ने गति देकर राष्ट्रीय उपलब्धि में बदल दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के सक्रिय प्रयासों ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने में निर्णायक भूमिका निभाई है।

इस परियोजना की यात्रा का आरंभ 22 सितंबर 2013 को हुए प्रारंभिक शिलान्यास से हुआ था। उस समय इस घोषणा ने पश्चिमी राजस्थान के विकास को लेकर उम्मीदों का नया क्षितिज जरूर खोला, लेकिन भूमि चयन, वित्तीय मॉडल और कार्यान्वयन ढांचे में स्पष्टता के अभाव के कारण यह योजना लंबे समय तक कागज़ों और प्रक्रियाओं में उलझी रही। उस दौर में अनेक बड़ी परियोजनाएं अक्सर राजनीतिक घोषणा ही रह जाती थी और समयबद्ध वास्तविक क्रियान्वयन तक नहीं पहुंच पाती थीं। वर्ष 2014 के बाद देश में विकास की राजनीति को नई दिशा मिली।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अटकी परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने, निवेश वातावरण को मजबूत बनाने और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने की स्पष्ट नीति अपनायी गयी। इसी क्रम में पचपदरा रिफाइनरी परियोजना का पुनर्मूल्यांकन किया गया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14 जून 2017 को इसकी लागत और इक्विटी संरचना में संशोधन को मंजूरी दी। इसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में एचआरआरएल का गठन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 जनवरी 2018 को इसका औपचारिक शिलान्यास किया। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 8 अप्रैल 2026 को इसकी संशोधित लागत को स्वीकृति दी गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से 21 अप्रैल 2026 को इस रिफाइनरी का लोकार्पण किया जा रहा है।

पचपदरा रिफाइनरी का पैमाना अपने आप में अभूतपूर्व है। लगभग 79,459 करोड़ की संशोधित लागत वाली यह परियोजना देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं में शामिल है। 9 एमएमटीपीए (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) रिफाइनिंग क्षमता और 2.4 एमएमटीपीए पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता के साथ यह परियोजना ऊर्जा और औद्योगिक विकास के नए मानक स्थापित कर रही है।

निर्माण के दृष्टिकोण से भी यह परियोजना इंजीनियरिंग और प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लगभग 4,800 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली इस रिफाइनरी के निर्माण में 5-6 लाख मीट्रिक टन स्टील, 40-50 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 1,000 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन नेटवर्क का उपयोग किया गया। अपने चरम निर्माण चरण में प्रतिदिन 25,000 से 30,000 श्रमिकों ने इस परियोजना को आकार दिया।

इस यात्रा के दौरान बीच के वर्षों में प्रशासनिक शिथिलता, प्राथमिकता के अभाव और वैश्विक परिस्थितियों के प्रभाव के कारण परियोजना की गति प्रभावित हुई, लागत में वृद्धि हुई और समय-सीमाएं भी आगे बढ़ी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गत ढाई वर्षों में इस परियोजना को पुनः तेज गति मिली। उन्होंने लगातार निर्माण स्थल के दौरे कर निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त किया। निर्णय प्रक्रिया में तेजी, स्पष्ट जवाबदेही और केंद्र-राज्य समन्वय ने इसे निर्माण के अंतिम चरण तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पचपदरा रिफाइनरी का महत्व केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है। यह राजस्थान को एक उभरते हुए पेट्रोकेमिकल हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम है। इसके माध्यम से डाउन स्ट्रीम उद्योगों जैसे प्लास्टिक, केमिकल, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण आदि को व्यापक बढ़ावा मिलेगा। अनुमान है कि इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 30,000 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होंगे। इससे स्थानीय युवाओं के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, केमिकल और तकनीकी सेवाओं में बड़ी संख्या में कुशल व अर्द्धकुशल युवाओं को अवसर मिलने लगे हैं। परिवहन क्षेत्र में ट्रकों, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और मेंटेनेंस सेवाओं की मांग बढ़ने से स्थानीय लोगों को स्थायी आय के साधन प्राप्त हो रहे हैं। छोटे उद्यमों और ठेकेदारी कार्यों में भी युवाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। रिफाइनरी के आसपास शिक्षण संस्थानों, होटल, ढाबों और अन्य सेवा क्षेत्रों का तेजी से विकास हो रहा है। आईटीआई, पॉलिटेक्निक और निजी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना से युवाओं को कौशल विकास का लाभ मिल रहा है। होटलों और गेस्ट हाउसों के विस्तार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। इन सबसे हजारों युवाओं के रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं।

इस परियोजना ने क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के विकास को भी गति दी है। सड़क, रेल, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, वेयरहाउसिंग और आवास जैसे क्षेत्रों में व्यापक निवेश हुआ है। लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा से अपेक्षाकृत दूर रहा पश्चिमी राजस्थान अब ऊर्जा और औद्योगिक निवेश का नया केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। राजनीतिक दृष्टि से यह परियोजना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि विकास केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि निरंतरता, जवाबदेही और निर्णायक नेतृत्व से संभव होता है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी नेतृत्व में पचपदरा रिफाइनरी इस बात का सशक्त उदाहरण है कि नीतिगत स्पष्टता और राजनीतिक इच्छाशक्ति से वर्षों से अटकी योजनाओं को भी समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है। यह परियोजना मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत की व्यापक अवधारणा से भी जुड़ी हुई है। ऊर्जा संकट की वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में प्रारम्भ हो रही यह रिफाइनरी ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने, आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही परियोजना राजस्थान के युवाओं को आधुनिक तकनीक, कौशल और औद्योगिक संस्कृति से जोड़ने का माध्यम भी बनेगी।

आज जब पचपदरा रिफाइनरी अपने पूर्ण स्वरूप में सामने आ रही है, तो यह औद्योगिक ढांचा नए राजस्थान की परिकल्पना का साकार रूप है। एक ऐसा राजस्थान, जहां योजनाएं केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि धरातल पर उतरकर विकास की नई गाथा लिखती हैं। यह परियोजना आने वाले वर्षों में न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगी और यह सिद्ध करेगी कि निर्णायक नेतृत्व के साथ विकास की राह कभी अवरुद्ध नहीं होती।

–राजेन्द्र गहलोत,
राज्यसभा सदस्य

'जेन-जेड' का राजनीतिक 'भूत'

राम निवास बैरवा

भूत काल के आदर्शों में जीने वाले सिद्धान्तहीन राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों के लिए 'भूत' शब्द ही सर्वथा उपयुक्त है। असम में चुनावों में वहां के मुख्यमंत्री ने नेपाल के 'जेन-जेड' आंदोलन की प्रत्यक्ष चर्चा करके भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारियों में व्याप्त 'जेन-जेड' के भूत के भय को ही उजागर किया है। लद्दाख के सोनम वांगचुक को सरकार ने अपने अन्तिम ब्रह्मास्त्र 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून' यानि कि एन.एस.ए. का उपयोग कर गिरफ्तार किया था- जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत मान कर वांगचुक को रिहा कर दिया। यह दरअसल भारत सरकार के भयग्रस्त गृहमंत्री की लिखी स्क्रिप्ट है। दोनों जगहों पर नेपाल के 'जेन-जेड' का संदर्भ है। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी 'जेन-जेड' के उभार थे, लेकिन भारत के भय का कारण नेपाल ही क्यूं है? पहला कारण तो यह है कि श्रीलंका में सिंहली बौद्ध रहते हैं, हिन्दू नहीं। उसी प्रकार बांग्लादेश में मुसलमानों की सरकार है, हिन्दुओं की सरकार नहीं है, अतः उनकी सरकारों के खिलाफ विद्रोह भारत की राजनीति के लिए एक राजनीति का तमाशा था और तमाशों का आनन्द तालियां बजाकर ही किया जाता है।

दूसरा कारण यह है कि श्रीलंका और बांग्लादेश के 'जेन-जेड' आंदोलन विद्यमान सत्ताधारियों को बदल कर उन्हीं के पुराने संस्करणों को पुनः स्थापित करना था। जबकि नेपाल का 'जेन-जेड' परम्परागत प्रतिद्वंद्वी सत्ताधारियों को फिर से सत्ता पर नहीं लाना चाहता था, वे नया नेतृत्व देखना चाहते थे। साथ ही उन्होंने परम्परागत पार्टियों पर चुनाव लड़ने की पाबंदिया नहीं लगाई थी बल्कि चुनावों में उन्हें भ्रष्टाचार, अव्यवस्था आदि के मामलों में नंगा करना चाहती थी। चुनावों को अन्तिम परिणाम भी वैसा ही रहा, जिससे भारतीय जनता पार्टी सहित लगभग सभी पार्टियां आतंकित हैं। भारत का एन.एस.ए. कानून भी सभी पार्टियों ने मिलकर ऐसे ही लोगों से निपटने के लिए बनाया लगता है। हरेक समय सत्ता की परम्परा पर चलने वाली राजनीतिक पार्टियां हमेशा से ही ऐसे ही कानून बनाती रही है और युवा जिन्हें आज 'जेन-जेड' का नाम दिया गया है; हमेशा से ही भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने के कारण सरकार विरोधी ठहराये जाकर, देशद्रोही करार देकर उन्हें सजाऐं दी जाती रही हैं। किसी भी देश में युवाओं के आंदोलन जब वहां की मेहनत जनता-मजदूरों और किसानों के लिए करते हैं तो वह क्रान्ति ही होती है, परन्तु सैद्धान्तिक नेतृत्व के अभाव में घूम-फिर कर फिर से सत्ता उन्हीं लोगों के हाथों में दे दी जाती रही है जो उन 'जेन-जेड' के उग्र दिमाग लोगों को फांसी देकर उनकी हत्याएं कर दी जाती है। आधुनिक भारत में युवाओं के 'जेन-जेड' आंदोलन एक शताब्दी पहले भगतसिंह और उनकी पार्टी द्वारा उभरा था। जिसे तत्कालीन राजनेताओं के समर्थन से उन्हें फांसी देकर, उस आंदोलन को खतम कर दिया गया था। 1947 के बाद, 1974 में गुजरात में 'जेन-जेड' आंदोलन उभरा था, लेकिन उसे जातीय आरक्षण के विरोध की अफीम खिलाकर शान्त कर दिया गया। तब बिहार के 'जेन-जेड' ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को लेकर आंदोलन उभरा, लेकिन जयप्रकाश नारायण जैसे पुराने नेताओं के समाजवादी आडम्बर से उस आंदोलन को अपने नेतृत्व में ले लिया।

उसकी परिणति श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह पुरानी परम्परागत तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के विरोध में बदलकर उसे एक राजनीतिक प्रहसन, राजनीतिक उपहास में बदल दिया। उसी प्रहसन की पैदावार कांग्रेस के राजीव गांधी की सरकार ने 'जेन-जेड' का दायरा बढ़ाने के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की स्थायी बीमारी के कारण राजीव गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया गया और फिर उन्हीं भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और गरीब से लड़ने के लिए विकास का नारा देकर 'जेन-जेड' को मंदिर की घंटियों में गुम करके मस्जिदों पे सिर फोड़ने के लिए छोड़ दिया। अब नेपाल के 'जेन-जेड' आंदोलन ने चुनावों में जनता का समर्थन पाकर सत्ता परिवर्तन किया है, जिसमें परम्परागत राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों के भ्रष्टाचार को उजागर करना शुरू कर दिया है। साथ ही वहां की नई सोच वाली सरकार ने कई ऐसे कदम उठाये हैं जिनकी कल्पना मात्र से ही भारत के सत्ताधारियों को अपने स्वर्ग से वी.वी.आई.पी. संस्कृति में कुंभीपाक नर्क दिखाई देने लगता है। नेपाल में सबसे पहला कदम वहां शिक्षा के सभी केंद्रों को सरकार के अधीन लाकर सबके लिए समान शिक्षा का रास्ता खोला है। साथ ही और भी कई कदम उठाये हैं जो कि भारत की हिंदूवादी विश्वगुरू के कल्पनालोक को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। हो सकता है, खुफिया जानकारियों के आधार पर भारत के राजनेताओं को सूचनायें मिली हो कि नेपाल का 'जेन-जेड' आंदोलन एक हिन्दू देश में होकर भी किसी प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ भविष्य गढने जा रहा है। सोनम वांगचुक का 'जेन-जेड' नाम लेने भर से ही वह देशद्रोही बना दिया गया, ठीक उसी तरह जैसे जनता, मजदूर-किसानों की गरीबी बेरोजगारी की बात करने वाला हरेक बुद्धिजीवी 'नक्सलवादी' या "अर्बन नक्सलवादी" कह दिया जाता है। उद्देश्य वही है, अंग्रेजी राज में भगतसिंह को मारा गया था, अब हरेक बुद्धिजीव को मारा जा रहा है क्योंकि अभी तक 'जेन-जेड' के लिए कोई अगला भगतसिंह नहीं हुआ है। लेकिन किसी भी राजनेता ने, न तो राहुल गांधी ने, न ही अखिलेश यादव ने, न ही 'जेन-जेड' की भूमि बिहार के लालू प्रसाद या नीतिश कुमार ने और न ही दक्षिण भारत के किसी नेता ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ कोई रैली निकाली, ना ही कोई आंदोलन किया। सुप्रीम कोर्ट से वांगचुकी की रिहाई को इन नेताओं ने 'जेन-जेड' की जीत के रूप में नहीं लिया बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हार के रूप में ही लिया है। उनके लिए 'जेन-जेड' आंदोलन की प्राथमिकता नहीं है बल्कि सरकार की आलोचना प्रमुख है।

-राम निवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि
आयुक्त

सेवा भावना की अनोखी गाथा समेटे लंदन का वेटरन ट्री गार्डन

घूमना-फिरना तो सभी को पसंद होता है लेकिन कुछ लोगों को खूबसूरत गार्डन और हरियाली जगहों पर जाना बेहद पसंद होता है। खूबसूरत पेड़-पौधे और फूलों के बीच घूमने का मजा ही अलग है। हरियाली और प्राकृतिक जगहें तो हर किसी को पसंद होता है। हिल स्टेशन हो या कोई प्लेस, अक्सर वहां की प्राकृतिक खूबसूरती आपका मन मोह लेती है। ऐसे में अगर आपको फूलों, हरियाली और प्राकृतिक नजारों से भरपूर गार्डन देखने को मिल जाए तो आपका मन खुशी से झूम उठेगा।

इन पंक्तियों के लेखक ने एक ऐसे गार्डन का हाल ही अवलोकन किया जो दो भाइयों की सेवा भावना की अपनी अनोखी मिसाल के लिए ख्यात है। लंदन के क्रॉयडन क्षेत्र में स्थापित यह गार्डन दो भाइयों की निजी मिल्कियत थी। दोनों भाइयों ने लाखों-करोड़ों रुपयों की राशि खर्च कर लगभग चार एकड़में इसे तैयार किया और बाद में इसे क्षेत्रीय कॉन्सिल को मुफ्त में गिफ्ट कर दिया ताकि आम लोग स्वतंत्र रूप से इस गार्डन की सुविधाओं का लाभ उठा सके। यह वेटरन ट्री गार्डन लगभग चार एकड़ के एरिया में फैला है जो पूरे क्रॉयडन में दुर्लभ और असामान्य झाड़ियों का एकमात्र लगाया हुआ

पेड़ का कलेक्शन है और यहीं स्थापित रोज़ गार्डन जिसके पास सीढ़ीदार लॉन और जड़ी-बूटियों वाले पौधों की सीमाएं हैं। ट्री गार्डन 1920 के दशक में एरिक वेटरन ने बनाया था जबकि रोज़ गार्डन उनके भाई, हर्बर्ट ने बनाया था। गार्डन शांत, दिलचस्प और टहलने या पिकनिक के लिए एकदम सही हैं। 1965 में एरिक वेटरन ने गार्डन, जिसे तब रोज़लैंड्स के नाम से जाना जाता था, लंदन के Borough of Croydon को दे दिया, ताकि इसे आम लोगों के मनोरंजन और भ्रमणीय आनंद के लिए एक खुली जगह के तौर पर रखा जा सके। यहाँ पेड़ों और झाड़ियों का एक अनोखा कलेक्शन है जिसे शुरू में मिस्टर एरिक फ्रैंक वेटरन ने बनाया था। यह गार्डन 1965 में जनता के फायदे के लिए ट्रस्टीज़ को गिफ़्ट के तौर पर कॉर्पोरेशन को दे दिया गया था। उन्होंने 1919 में बनाना शुरू किया था। गार्डन कई छोटे गार्डन से बने हैं, जिनमें डेल्फ़िनियम बॉर्डर और रोज़ ट्रेलिस गार्डन शामिल हैं, जो 1967 में बना था। जहाँ कई बड़े बीच के पेड़ हैं। इस पार्क को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फ्लैग अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।

-बाल मुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

राशिफल मंगलवार 21 अप्रैल, 2026

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2083, मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 11:59 तक, शोभन योग दिन 12:31 तक, बव करण दिन 2:47 तक, चन्द्रमा दिन 1:01 से मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-मेष, चन्द्रमा-वृष, मंगल-मीन, बुध-मीन, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज यमघट योग रात्रि 11:59 से सूर्योदय तक है। रवियोग रात्रि 11:59 से आरम्भ होगा। आज श्री आद्य शंकराचार्य, सन्त सूरदास जयन्ती है। आज से राष्ट्रीय वैशाख मास आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर 9:13 से 10:50 तक, लाभ-अमृत 10:50 से 2:02 तक, शुभ 3:38 से 5:14 तक।

राहूकालः 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:01, सूर्यास्त 6:50

मेष

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

वृष

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनःस्थिति में सुधार होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल में वृद्धि होगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। आज मन में असंतोष बना रहेगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात मानसिक तनाव दूर होगा।

कर्क

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। दिन के मध्यान्ह पश्चात व्यक्तिगत कारणों से मानसिक तनाव हो सकता है।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

कन्या

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

तुला

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

वृश्चिक

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है।

मकर

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ

घर-परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मीन

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।